Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 9, October-2018, ISSN 2230-7540

अभ्रक उद्योग की समस्याएँ एवं रूग्ण उद्योगों को लाभकारी बनाने की योजना

Dr. Ranjan Kumar*

ICHR, JRF, UGC Net, Patna University, Patna, Bihar

सार – झारखण्ड अभ्रक उत्पादन भारत के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध रहा है। भण्डार एवं उत्पादन की दृष्टि से आंध्र-प्रदेश आज प्रथम स्थान पर और झारखण्ड का दूसरा स्थान है। झारखण्ड में पाया जाने वाला अभ्रक उत्तम कोटि का है और विश्व बाजार में यह बंगाल रूबी के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इसके बावजूद झारखण्ड का अभ्रक उद्योग आज पतन के कागार पर है।

अभ्रक की अनेक खानें तथा अभ्रक उद्योग की अनेक इकाइयाँ विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण भी आज बंद हो चुकी है। इसके कारण अभ्रक के उत्पादन तथा निर्यात दोनों में 1975 के बाद तेजी से गिरावट हुआ है।

अभ्रक उधोग की समस्या मुख्यत दो प्रकार की होती है-

(I) बाह्य समस्याएँ - जैसे-चीन द्वारा माइका पेपर का सस्तस उत्पादन, झारखण्ड के स्थानीय लागों द्वारा अवैध खनन, अमेरिका द्वारा विकल्प का उत्पादन, सोवियत रुस का विघटन इत्यादि।

(II) आंतरिक समस्याएँ - मिटको के अंर्तगत व्याप्त भ्रटाचार, रिश्वतखोरी और घटिया नमूने का अनूमोदन, मूल्य की अस्थिरता, अभ्रक की मार्केटिंग की नीति माँग और आपूर्ति के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होना, विपणन संगठन के अभाव, कुशल श्रमिक, तकनीकी विशेषज्ञों एवं प्रबंधन की कमी, कौशल ज्ञान का अभाव, अभ्रक श्रमिकों को काफी कम मजदूरी, ट्रेड यूनियम का विकास धीमा होना, बीहड़ जंगलों में जहाँ। खदपन उपलब्ध परिवहन एवं संचार साधनों का विकासन होना,

नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल न होना, अनुसंधान एवं अन्वेषण पर भी पर्याप्त ध्यान न देना, अभ्रक भण्डार का व्यवस्थित सर्वेक्षण न होना, झारखण्ड का उग्रवाद से प्रभावित होना, वन संरक्षण कानून तथा वन एवं खनन विभाग के बीच तालमेल की कमी, अभ्रक जाँच समिति की महत्त्वपूर्ण सिफारिश का लागू न होना, 'झारखण्ड के अभ्रक उद्योग के विकास के लिए कोई नीति न बनाना इत्यादि।

समाधानः-रूग्न अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिएःकुछ की उपाय की जरुरत है- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पद्र्धा के लिए हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार संयुक्त प्रयास, निर्यात के लिए एकरूप नीति के विकास, विस्तृत बाजार का अध्धयन,देशी बाजार में अभ्रक के प्रति आकर्षण पैदा करना, ऐसी नीति को बनाना जो अभ्रक की बाजार नीति माँग और आपूर्ति के अनुकूल हो, अभ्रक खान मालिक द्वारा श्रमिकों के शोषण को रोकने के प्रति सरकार का ठोस कदम, कोयला क्षेत्रों की भाँति स्वस्थ 'ट्रेड यूनियन' का विकास , परिवहन एवं संचार व्यवस्था का विकास, नवीन तकनीकी का प्रयोग, उग्रवाद तथा नक्सलवाद से सुरक्षा, वन विभाग एवं खनन विभाग के बीच तालमेल बनाने की कोशिश इत्यादि।

मुख्य शब्द: अभ्रक उधोग की समस्या, परिवहन एवं संचार साधनों की समस्या, वन विभाग, खनन विभाग।

---------------------------------X---------------------------------

मुख्य आलेख:

झारखण्ड में एक सफल औद्योगिक राज्य बनने एवं व्यापक विकास की असीम क्षमता निहित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य खनिजों का अतुलनीय भण्डार है। इस राज्य के गर्भ में भारत का लगभग 46 प्रतिशत खनिज भण्डार संचित है। यह देश का 58% अभ्रक, 30% कायनाइट, 33% कोयला,

www.ignited.in

33% ताँबा, 33% ग्रेफाइट, 32% बॉक्साइट, 19% लौह अयस्क एवं 95% पायराइट का उत्पादन करता है। इसके अलावे यूरेनियम, मैगनीज, क्रोमियम, चाँदी, डोलोमाइट आदि खनिज भी जाए जाते है। झारखण्ड के पास भूमि और अन्य पूरक संसाधन भी मौजूद हैं। यहाँ के लोग साधारण, श्रमजीवी और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। अतः इस राज्य के पास खनिजों तथा प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के आधार पर देश के लिए विकास का ईंजन बनने की सारी संभावनाएँ विद्यमान हैं। इसके बावजूद यह देश का सफल औद्योगिक राज्य बनने में असफल रहा है। लौह-अयस्क एवं बॉक्साइट पर आधारित कुछ ही उद्योगों पर इस राज्य का ध्यान है। अभ्रक जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों की उपेक्षा की गई है। इसके चलते विभिन्न प्रकार के संसाधनों से सम्पन्न होने के बावजूद यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आधारभूत सुविधाओं से वंचित है और भीषण गरीबी में जी रहा है। निम्न जालिका में झारखण्ड के कुछ प्रमुख खनिजों का उत्पादन एवं उनका प्रतिशत दर्शाया गया है:-

अयस्क		1951	1961	1974	1981	1983	1988	1991
लौह अयस्क	टन	18	29	50	69	69	86	97
	प्रतिशत	60	26	15	19	17	18	19
मैगनीज अयस्क	टन	5	5	5	10	0	20	20
	प्रतिशत	4	4	2	0.5	4	2	2
क्रोमाइट अयस्क	टन	5	5	–	0.6	0.2	0.2	0.2
	प्रतिशत	1.5	10.4	–	0.2	0.2	0.2	0.2
कॉपर अयस्क	टन	4	4	2	12	13	14	13
	प्रतिशत	50	50	40	41	40	38	33
बॉक्साइट अयस्क	टन	–	2	3	6	–	8	9
	प्रतिशत	–	80	25	31	–	40	32
माइका अयस्क	टन	–	14	6	5	–	2	2
	प्रतिशत	–	59	56	60	–	57	58
माइका अयस्क	टन	–	14	6	5	–	2	2
	प्रतिशत	–	59	56	60	–	57	58
कोल अयस्क	टन	110	270	350	510	–	660	671
	प्रतिशत	32	48	46	45	–	41	33

लम्बे समय से अभ्रक के उत्पादन में झारखण्ड न सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध रहा है। यद्यपि भण्डार एवं उत्पादन की दृष्टि से आंध्र-प्रदेश आज प्रथम स्थान पर पहुँच गया है और झारखण्ड का दूसरा स्थान है। राजस्थान तीसरे स्थान पर है, जबकि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं प0 बंगाल द्वारा भी कुछ मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। लेकिन झारखण्ड में पाया जाने वाला अभ्रक उत्तम कोटि का है और विश्व बाजार में यह बंगाल रूबी के नाम से प्रसिद्ध रहा है।

इसके बावजूद झारखण्ड का अभ्रक उद्योग आज पतन के कागार पर है। झारखण्ड के उत्तरी मध्यवर्ती भाग में अभ्रक के विशाल भण्डार संचित है। यहाँ अभ्रक भण्डार का क्षेत्र उत्तरी भाग में 145 कि0मी0 लम्बी तथा 26 कि0मी0 चैड़ी भूमि में है। विशेषकर कोडरमा तथा उसके आसपास अभ्रक उद्योग से संबंधित आज भी अनेक इकाईयाँ क्रियाशील हैं। इस क्षेत्र को ग्रांड ट्रंक रोड तथा ग्रांड कॉर्ड रेलवे की सुविधा भी प्राप्त है। यहाँ अभ्रक उद्योग की इकाईयाँ, झुमरी तिलैया, डोमचाँच, गिरिडील तिसरी, चकई आदि जगहों में क्रियाशील हैं। यद्यपि गिरिडील झारखण्ड की अभ्रक पट्टी से बाहर अवस्थित है, परंतु यह रेलवे द्वारा काफी पहले से ही कोलकाता से जुड़ा हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र में उपस्थित कोयला के भण्डार ने भी गिरिडीह के आसपास अभ्रक उद्योग के विकास में सहायता प्रदान की है। परंतु विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण अभ्रक की अनेक खानों के साथ-साथ अभ्रक उद्योग की अनेक इकाइयाँ भी आज बंद हो चुकी है। इसके कारण अभ्रक के उत्पादन तथा निर्यात दोनों में 1975 के बाद तेजी से गिरावट दिखाई पड़ती है। निम्नलिखित तालिका अभ्रक के उत्पादन में ह्रास की प्रवृति को स्पष्ट दर्शाती है-

वर्ष	उत्पादन
1961	14.00 हजार टन
1978	8.5 हजार टन
1983	6.7 हजार टन
1996–97	922 टन
1998–99	925 टन

स्रोत : इण्डियन ब्यूरो ऑफ माईस मार्च, 2000

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि झारखण्ड का अभ्रक उद्योग एवं लंबे समय से संकट के दौर से गुजर रहा है। अनेक बाह्य और आंतरिक कारणों से इसके उत्पादन में लगातार कमी आई है। अभ्रक तथा अभ्रक के स्क्रैप एवं अपशिष्ट का सम्मिलित उत्पादन 1961 में 14 हजार टन था जो 1996-97 में घटकर मात्र 922 टन रह गया। वर्ष 1998-99 में भी झारखण्ड के द्वारा कुल 925 टन ही अभ्रक का उत्पादन किया गया जिसमें 590 टन अभ्रक तथा 335 टन अभ्रक के स्क्रैप एवं अपशिष्ट शामिल था।

वस्तुतः झारखण्ड में अभ्रक के निर्यात का सुनहरा दौर 1960 से 1970 के बीच था। लेकिन निर्यात बाजार में मंदी का दौर 70 के दशक के बाद से प्रारंभ हुआ। यद्यपि अभ्रक के निर्यात में भारत में झारखण्ड का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है, परंतु कच्चे अभ्रक के उत्पादन दर में पिछले 20 वर्षों से नाटकीय रूप से कमी आई है। 1951 से 2001 के बीच उत्पादन की दर में कमी 4.71 प्रतिवर्ष आई 80 के दशक के बाद अमेरिका द्वारा अभ्रक की माँग में कमी और इसके विकल्प के रूप में सिंथेटिक अभ्रक की खोज, सोवियत संघ का विघटन, चीन से प्रतिद्वंद्विता, अंतर्राष्ट्रीय माँग में कमी, मिटको से जुड़ा नकारात्मक प्रभाव, अभ्रक की बिक्री में कठिनाई और बाजार संगठन का अभाव, वन संरक्षण कानून, नक्सली संगठनों की समानांतर सत्ता, अभ्रक का अवैध उत्खनन आदि कुछ ऐसे बाह्य एवं आंतरिक कारण थे जिसके चलते आज झारखण्ड का अभ्रक उद्योग दयनीय स्थिति में है। इस प्रकार अभ्रक उद्योग की समस्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है- (प) बाह्य समस्याएँ (पप) आंतरिक समस्याएँ।

(I) बाह्य समस्याएँ

झारखण्ड के अभ्रक की सबसे प्रमुख समस्या विदेशों के साथ तीव्र प्रतिद्वंद्विता है। चीन के अभ्रक उत्पादों की माँग का प्रभाव उत्तरी झारखण्ड के कोडरमा, गिरिडीह, दक्षिण बिहार के नवादा, मुंगेर, भागलपुर और गया जिलों पर पड़ा है। घटिया क्वालिटी और कम माँग के बावजूद चीन ने माइका पेपर के उत्पादन में अपनी साख कायम कर ली है। भारत भी चीन के माइका पेपर का एक बड़ा खरीददार बनता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि चीन के माइका पेपर का लागत मूल्य काफी कम पड़ता है और यह काफी सस्ता है। जबकि झारखण्ड में उत्तम कोटि के अभ्रक की उपलब्धता है लेनिक इस का उत्पादन लागत काफी अधिक है, फलतः इसका बाजार मूल्य चीन के माइका की तुलना में काफी अधिक है। सस्ता होने के कारण चीन का अभ्रक ज्यादा बिकने लगा। चीन में माइका बनानेवाले 20 से अधिक प्लांट लग चुके हैं। लेकिन दुनिया में सबसे अधिक अच्छा और बड़ा अभ्रक भण्डार होने के बावजूद भारत में इस पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। देश के 90 प्रतिशत अभ्रक भण्डार वाले झारखण्ड के कोडरमा और बिार के नवादा जिले में अभ्रक आधारित उद्योग नहीं के बराबर हैं। झारखण्ड में अभ्रक का सबसे प्रमुख केन्द्र कोडरमा के सुरक्षित वन क्षेत्र में विस्तृत है। किन्तु, पिछले डेढ़ दशक से अभ्रक खनन का कार्य लगभग ठप्प है। थोड़ा बहुत खनन का कार्य झारखण्ड राज्य खनन विकास निगम, चरकी अभ्रक खनन कंपनी, नरेन्द्र कुमार तथा सुरेश कुमार झांझरी कंपनी, और केदार सिंह कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। परंतु झारखण्ड के स्थानीय लोगों द्वारा अवैध खनन का कार्य जारी है जिसके चलते इस उद्योग के विकास की गति अवरूद्ध हो रही है।

झारखण्ड के अभ्रक के कारोबार को अमेरिका की वजह से भी नुकसान पहुँचा है। अमेरिका ने करीब 40 साल पहले सुरक्षा उपकरणों में इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर भारत से अभ्रक का आयात किया था। इसका प्रमुख कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चलनेवाला शीतयुद्ध था। शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका ने सामरिक अस्त्र-शस्त्र के निर्माण पर काफी बल दिया और सुरक्षा संबंधी उपकरणों में अभ्रक की उपयोगिता के चलते काफी मात्रा में भारत से इसका आयात कर लिया। लेकिन अमेरिका में इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। अमेरिका के गोदामों में भारत से आयातित अभ्रक डंप कर दी गई। करीब डेढ़ दशक पहले अमेरिका ने उसी दाम पर आयातित अभ्रक वापस भारत के व्यापरियों को बेचना शुरू कर दिया जिस दाम पर उसने भारत से आयात किया था। नतीजतन यहाँ के अभ्रक निर्यातकों ने बड़ी मात्रा में अमेरिका से आयातित अभ्रक की खरीद की। इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि अभ्रक की माँग देशी बाजार में कम हो गई। कोडरमा में अभ्रक के पुराने व्यापारी सुरेश झांझरी का कहना है कि अब वह भण्डार खत्म हो◌ेनेवाला है और आनेवाले समय में इसकी माँग फिर तेज होगी।

अभ्रक के विकल्प की खोज से भी झारखण्ड के अभ्रक उद्योग पर गहरा असर पड़ा है। यह सर्वविदित तथ्य है कि अभ्रक उत्पादन देशों में भारत अग्रणी है और अभ्रक व्यापार में इसे एकाधिकार प्राप्त रहा है। लेकिन पिछले दो दशकों से अभ्रक उपभोक्ता देशों खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी और फ्रांस अभ्रक के विकल्प को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका को काफी सफलता भी मिली है। अमेरिका द्वारा अभ्रक के लिए कृत्रिम विकल्प की खोज की गई जो सस्ता तो था हीं, साथ ही बेहतर विद्युतरोधी गुणों से भी युक्त था। इस महत्त्वपूर्ण खोज तथा वैकल्पिक वाणिज्यिक उपलब्धता ने अभ्रक उद्योग को गहरा धक्का पहुँचाया और अभ्रक का निर्यात-व्यापार काफी संकुचित हो गया। सन् 1990 में सोवियत संघ के विघटन से भी झारखंड के अभ्रक उद्योग पर गहरा असर पड़ा है। सोवियत युग के दौरान रूस भारत से सिल्वर्ड माइका का सबसे विशाल आयातक था। सोवियत संघ भी संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति सामरिक अस्त्र-शस्त्रों तथा सुरक्षा-संबंधी उपकरणों में अभ्रक की उपयोगिता को देखते हुए भारत से व्यापक पैमाने पर अभ्रक का आयात कर रहा था। लेकिन सोवियत संघ के पतन के साथ ही भारत से अभ्रक की बिक्री पूर्णतः बंद हो गई और भारत ने अपने सबसे आकर्षक ग्राहक को खो दिया। फलतः झारखण्ड के अभ्रक उद्योग पर इसका अत्यंत ही बुरा प्रभाव पड़ा।

इस प्रकार, अभ्रक उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब इसकी अंतर्राष्ट्रीय माँग पहले जैसी नहीं है। देश से इसका निर्यात महज डेढ़ सौ करोड़ रूपये के आसपास है। लेकिन इस कारोबार से सरोकार रखनेवाले लोगों का कहना है कि दस साल से अभ्रका का खनन इस इलाके में बंद है। इसके बावजूद आज भी उतना ही निर्यात हो रहा है जितना पहले था। इससे जाहिर है कि बिना किसी प्रयास के ऐसा है। अभ्रक खनन संघ के अध्यक्ष सदानंद प्रसाद भदानी का कहना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और झारखण्ड के मुख्यमंत्री खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की बात तो करते हैं, लेकिन यह सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है। और अभ्रक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माँग की पूर्ति हेतु अभ्रक उद्योग को प्रोत्साहन की जरूरत है।

योजना आयोग और झारखण्ड सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम अभ्रक उद्योग को बढ़ाने और अभ्रक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माँग की पूर्ति के लिए नहीं उठाये गए हैं।

(II) आंतरिक समस्याएँ

बाह्य समस्याओं के साथ-साथ अभ्रक उद्योग कई आंतरिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। इन आंतरिक समस्याओं के कारण भी अभ्रक उद्योग का समुचित विकास नहीं हो पाया और आज यह रूग्न स्थिति के दौर से गुजर रहा है। अतः इन आंतरिक समस्याओं पर भी प्रकाश डालना जरूरी है।

झारखण्ड में अभ्रक उद्योग की वर्तमान स्थिति के लिए मिटको को उत्तरदायी ठहराया जाता है। भारत के अभ्रक उद्योग के प्रबंधन पर निगरानी के लिए 1974 में मिटको की स्थापना की गई थी। मिटको की स्थापना के पीछे के एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि निर्यात व्यापार को संगठित कर निर्मित अभ्रक के निर्यात को तेजी से बढ़ाया जाये। इसके तहत अभ्रक निर्यातकों को अपने अभ्रक के निर्यात के लिए गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु इसका एक नमूना निर्यात करने से पहले मिटको को भेजना पड़ता था। साथ ही 60:निर्यात मिटको के माध्यम से होता था, जबकि 40: बाहर के खरीददारों को सीधे तौर पर बिना किसी माध्यम के बेचा जाता था। किन्तु समय के साथ मिटको के प्रतिनिधियों के बीच भ्रष्टाचार बढ़ा और वे रिश्वत लेकर घटिया नमूने (सैम्पल) को अनुमोदित कर देते थे। जो लोग अधिकारियों को रिश्वत नहीं देते थे। उनके नमूने अस्वीकार कर दिए जाते थे, चाहे उनकी गुणवत्ता उच्च ही क्यों न हो। साथ ही मिटको ने उच्च मानकों को समायोजित करने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा, मिटको ने मूल्य की अस्थिरता को व्यवस्थित करने की कोशिश नहीं की जिसके चलते निजी व्यवसायकत्र्ता को खरीददारों के अनुसार मूल्य को समायोजित करना पड़ता था। मिटको द्वारा जो प्राप्ति कीमत ली जाती थी, वह न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होता था। इसके कारण खान मालिकों को शायद ही कोई फायदा होता था। परिणामस्वरूप अभ्रक खनन अलाभकर हो जाता था। न्यूनतम मूल्य वह मूल्य था जिस मूल्य पर मिटको अभ्रक को बेचता था और प्राप्ति कीमत वह कीमत थी, जिस कीमत पर मिटको व्यापारियों से अभ्रक खरीदता था। लेकिन निजी निर्यातकों द्वारा जो भी कीमत दिया जाता था, उसकी तुलना में मिटको का प्रस्ताव फिर भी लाभप्रद था।

झारखण्ड के अभ्रक उद्योग की एक प्रमुख समस्या यह है कि अभ्रक की मार्केटिंग की नीति माँग और आपूर्ति के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसके कारण अभ्रक के कारोबार में संतुलन नहीं बन पाया है। मिटको ने मार्केटिंग के लिए सरकार का सहारा लिया। इस कारण सोवियत संघ के समय भले ही इसका वहाँ निर्यात हो गया, लेकिन देश में इसका बाजार तैयार करने का पक्ष उपेक्षित ही रहा। देश की बड़ी कॉस्मेटिक उत्पाद निर्यात कम्पनियाँ आज अमेरिका और जर्मनी से माइका का कलर पिगमेंट आयात कर रही हैं जो 1800 रूपये किलो है, जबकि यहाँ से अमेरिका कंपनियाँ 400 से 1000 रूपये क्विंटल के भाव से अभ्रक आयात करती है।

झारखण्ड का अभ्रक उद्योग बिक्री में कठिनाई और विपणन संगठन के अभाव जैसी समस्याओं से भी ग्रस्त है। प्रारंभ में खान से अभ्रक निकालने का काम काफी अव्यवस्थित था। अभ्रक मजदूर जंगलों से अभ्रक इक्ट्ठा करते थे और महाजनों को, जो भी कीमत वे देते थे, वे बेच देते थे, बाद में खरीद एवं बिक्री का यह अव्यावहारिक तरीका बदला और कुछ साहुकारों का उदय हुआ। बाद में विश्व बाजार में अभ्रक की माँग में अचानक तेजी आने के कारण कुछ बड़े व्यावसायिक वर्गों का उदय हुआ जो विदेशों में अभ्रक की बिक्री हेतु एकमात्र एकाधिकृत एजेंसी बन गए। यूनाइटेड किंग्डम एवं यूरोपीय महाद्वीप के लिए लंदन, यूनाइटेड स्टेटस ऑफ़ अमेरिका के लिए न्यूयार्क, इटली के लिए जेनेवा तथा जर्मनी के लिए हैम्बर्ग अभ्रक के प्रमुख विदेशी बाजार थे। इन विदेशी बाजारों में बड़े अभ्रक उत्पादकों की ओर से एजेंट नियुक्त किए गए थे और इनके द्वारा जो अभ्रक भेजा जाता था वह इन एजेंटों के पास जमा रहता था। पूर्ण भुगतान पर विभिन्न बैंकों द्वारा कन्साइनमेंट दिया जाता था। इन विदेशी एजेंटों के अलावा, डीलरों के माध्यम से भी विदेशी ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त मात्रा में अभ्रक का निर्यात किया जाता था। लंदन सबसे महत्त्वपूर्ण बाजार था। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ के साथ ही नियोला◌ॅजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया के डायरेक्टर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अतिरिक्त अभ्रक खरीदना प्रारंभ किया। निजी व्यापारियों के द्वारा भी अभ्रक का निर्यात अन्य देशों को जारी रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा एक अभ्रक शिष्टमंडल का गठन किया गया। इन शिष्टमंडल ने क्वालिटी स्टैण्डर्ड, टुकड़ों की कीमत, कन्डेंसर फिल्म इत्यादि की कीमत को नियंत्रित किया। इस कार्य में शिष्ट मंडल ने अभ्रक व्यापारियों से सलाह नहीं ली। इस मिशन द्वारा जो कीमत तय की गई, वो बाजार की कीमत से बहुत कम था। इससे अशांति का माहौल बन गया, परंतु धीरे-धीरे शांत हो गया। अभ्रक जाँच समिति ने इस समस्या की जाँच-पड़ताल की और अभ्रक विपणन नियंत्रण बोर्ड के गठन की सिफारिश की। इस संगठन के ट्रेड मेम्बर को अभ्रक व्यापार को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गयी।

www.ignited.in

कुशल श्रमिक, तकनीकी विशेषज्ञों एवं प्रबंधन की कमी का अभाव भी झारखण्ड के अभ्रक उद्योग से जुड़ी प्रमुख समस्या है। कोई भी संसाधन तभी महत्त्वपूर्ण होता है, जब इनको मानवीय उपयोगी वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए कुशल श्रम, तकनीकी ज्ञान, पूँजी का विनियोग एवं कुशल प्रबंधन आवश्यक होता है। कुशल श्रमिकों का अभाव न केवल झारखण्ड बल्कि भारत जैसे सभी विकासशील देशों में औद्योगीकरण से जुड़ी मूल समस्या है। यद्यपि झारखण्ड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 13वाँ स्थान है। साथ हीं, यहाँ के लोग साधारण और श्रमजीवी भी हैं। लेकिन उनमें कौशल ज्ञान का अभाव है। मशीनों के आविष्कार, उनमें सुधार एवं रख-रखाव तथा उनको चलाने के लिए बड़ी संख्या में तकनीकी ज्ञानयुक्त विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अन्यथा उन्हें इसका विकसित देशों से आयात करना पड़ता है जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इससे देश का महत्त्वपूर्ण संसाधन बारह चला जाता है जो किसी भी उद्योग के विकास को अवरूद्ध करता है।

कोई भी उद्योग श्रम के बिना नहीं चल सकता। श्रमिकों की दृष्टि से वे उद्योग ही चल पाते हैं जिससे श्रमिकों को वेतन देने के बाद भी लाभ हो पाता है। श्रमिक उद्योगों की रीढ़ हैं, किन्तु कुशल श्रम उद्योगों की जान है। अभ्रक उद्योग में विभिन्न प्रकार के एवं विशिष्ट प्रकार के काम होते हैं जिसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। झारखण्ड के अभ्रक खानों में जो श्रमिक कार्यरत थे, उनमें कुशल ज्ञान का सर्वथा अभाव था। अभ्रक की खोज में जो श्रमबल लगे थे, वे खोजकर्ता के नाम से जाने जाते थे। इन श्रमिकों को अभ्रक की पट्टी के बारे में परंपरागत ज्ञान था और वे अभ्रक पिग्माइट से परिचित थे। ये श्रमिक अतीत और वर्तमान में कार्यरत सभी अभ्रक खानों के वास्तविक खोजकर्ता थे। लेकिन इन श्रमिकों में कौशल ज्ञान का सर्वथा अभाव था। अभ्रक जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज के लिए कुशल ज्ञान बहुत जरूरी होता है। अभ्रक को संसाधित करने के प्रत्येक चरण में यह नुकसान का विषय था। कुशल ज्ञान के अभाव में अभ्रक को संसाधित करने में तीन तरह के नुकसान होते थे-

(क) अवांछित गुणवत्ता में कमी,

(ख) अवांछित अभ्रक पाउडर का उत्पादन,

(ग) अवांछित काट-छांट।

अतः इससे अभ्रक उद्योग को काफी नुकसान पहुँचता था। ऐसे कुशल कारीगर खुले विशिष्ट तकनीकी शिक्षण संस्थानों से आते हैं। दुर्भाग्य से झारखण्ड में इस प्रकार के विशिष्ट तकनीकी शिक्षण संस्थानों की बहुत कमी है। चूँकि झारखण्ड विभिन्न प्रकार के खनिजों से संपन्न राज्य है, अतः इस प्रकार के तकनीकी शिक्षण संस्थानों की यहाँ अत्यधिक जरूरत है।

झारखण्ड के अभ्रक खानों के श्रमिकों का खान मालिकों द्वारा शोषण के कारण भी अभ्रक उद्योग का समुचित रूप से विकास नहीं हो सका। अभ्रक श्रमिको को बुनियादी सुविधाएँ भी प्रदान नहीं की जाती थी। कार्यस्थल पर मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय एवं असंतोषजनक थी। अभ्रक मजदूर प्रायः कामचलाऊ अमानवीय बैरक में रहते थे। उनके बैरकों में शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा नही थी। शौचालय के अभाव में मजदूरों द्वारा इधर-उधर गंदगी फैलाई जाती थी जिससे वातावरण प्रदूषित हो जाता था। इससे मजदूरों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता था तथा वे विभिन्न् बीमारियों की चपेट में आ जाते थे।

अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से खदान मालिकों द्वारा अभ्रक श्रमिकों को काफी कम मजदूरी दी जाती थी। इससे श्रमिक घोर गरीबी में जीते थे और अपनी आधारभूत जरूरतों को भी पूरा कर पाने में अक्षम होते थे। खान मालिक श्रमिकों की निरक्षरता का फायदा उठाते थे। चूँकि श्रमिकों के पास कोई और विकल्प नहीं रहता था, इस कारण वे मालिकों के बनाए नियम के अनुसार काम करने को मजबूर (बाध्य) होते थे।

अभ्रक खदान मालिक अपने मजदूरों के रहन-सहन के स्तर को सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं देते थे। वे अभ्रक उद्योग में मजदूरों के महत्त्व को नहीं समझते थे। इसका सीधा परिणाम अभ्रक उद्योग में श्रम-शक्ति के निम्न प्रदर्शन के रूप में सामने आया।

झारखण्ड के अभ्रक क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक बीमारियों का प्रकोप भी अभ्रक उद्योग के समक्ष एक प्रमुख बाधा थी। चूँकि अभ्रक मजदूर अमानवीय दशा में रहने एवं कार्य करने को मजबूर थे, फलतः वे विभिन प्रकार के बीमारियों का शिकार होने लगे। शारीरिक संक्रमण उनमें एक आम बात थी। संक्रामक बीमारियों का फैलाव मजदूरों में बहुत तेजी से होता था। कभी-कभी मलेरिया महामारी के रूप में फैलता था। कुछ इलाकों में संक्रमण काफी घातक होता था जिसके कारण जिन्दगी एवं स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता था। अभ्रक मजदूर आंत के संक्रमण से भी पीड़ित रहते थे जिसके कारण अल्सर, पेचिश, कोलाइटिस, हैजा आदि बीमारियों का फैलाव होता था। स्वच्छ पानी के अभाव में इन बीमारियों को फैलने में मदद मिलती थी। इन सभी बीमारियों की जड़ गंदे कुओं

www.ignited.in

एवं मौसमी नदी क दूषित पानी का उपभोग था। मजदूरों के गरीब तबके के बीच टी0बी0 एक अमान्य प्रचलित बीमारी थी। इसका कारण यह था कि वे सामान्य बाधाओं यथा- स्वच्छ पेयजल, दवा आदि के अभाव में कार्यस्थल पर ही रहने को विवश थे। खदान मालिकों को अच्छे खासा मुनाफा होने के बावजूद मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों के कार्य-प्रदर्शन पर काफी बुरा असर पड़ता था। इससे अभ्रक उद्योग को काफी नुकसान होता था।

दुर्भाग्य से अभ्रक क्षेत्रों में स्वस्थ ट्रेड यूनियम का भी विकास काफी धीमा रहा। कोयला एवं अन्य उद्योगों की तुलना में अभ्रक उद्योग की बिक्री काफी कम थी। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह काफी बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। हजारीबाग के पुराने जिले गया एवं मुंगेर भी इसमें शामिल था। अभ्रक खनन का कार्य करनेवाले स्थानीय लोग थे जो कि आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर तथा सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित थे। अतः ट्रेड यूनियन का बीज अभ्रक क्षेत्रों में जड़ नहीं जमा सका जितना कि यह कोयला उद्योग में विकसित हुआ। इसके परिणामस्वरूप खनन कार्यकर्ता एवं श्रमिक के साथ-साथ मैनेजर तक का भी शोषण होता था।

झारखण्ड की भौगोलिक स्थिति और परिवहन एवं संचार साधनों का अपर्याप्त विकास भी अभ्रक उद्योग की प्रमुख समस्या रही है। उद्योग-धंधों के लिए परिवहन साधनों का अच्छा विकास होना आवश्यक है। क्योंकि इन साधनों के द्वारा कच्चा माल कारखानों तक तथा तैयार माल बाजारों तक पहुँचाया जाता है। परिवहन साधनों के अन्तर्गत मुख्यतः रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग शामिल किए जाते हैं। किसी स्थान तक पहुँचने के लिए जरूरी है कि वहाँ तक परिवहन साधनों का विकास हो और विभिन्न परिवहन के साधन एक-दूसरे से जुड़े हों। भौगोलिक दृष्टि से झारखण्ड छोटानागपुर के पठार के रूप में विख्यात रहा है। इसकी औसत ऊँचाई 700 फीट है। लेकिन कुछ भाग 3800 फीट से भी अधिक ऊँचे है, तो कुछ क्षेत्र 250 फीट से भी कम ऊँचे है। इन कारण यहाँ परिवहन एवं संचार साधनों का पूर्ण विकास नही हो सका। दुर्भाग्य से झारखण्ड में जो अभ्रक खानें हैं, वे धनधोर एवं बीहड़ जंगलों में स्थित हैं जो सड़क अभवा रेलमार्ग से दूर हैं, इससे खानों से निकाले गए अभ्रक को सड़क मार्ग तक लाने में अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है जिससे लागत मूल्य अधिक हो जाता है। साथ हीं, अभ्रक खानों और निकटतम बन्दरगाह कलकत्ता के बीच भी दूरी अधिक है। इससे अभ्रक खनन का लागत मूल्य बढ़ जाता है। लागत मूल्य अधिक होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में झारखण्ड का अभ्रक प्रतिस्पद्र्धा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है।

झारखण्ड के अभ्रक खानों से अभ्रक निकालने में नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अभ्रक श्रमिक अपने हाथों से ही खानों का उत्खनन कर अभ्रक निकालते हैं। इससे उत्पादन लागत काफी अधिक पड़ता है। दूसरी और, नवीन प्रौद्योगिकी के अभाव में अभ्रक खानें खतरों से भेरे होते थे और खानों के धँसने से जान-माल की सुरक्षा का भय हमेशा बना रहता था। आए दिन खानों के धँसने से अभ्रक श्रमिकों की मौत हो जाया करती थी। इसके चलते अभ्रक खानों को बंद करना पड़ता था। सरकार ने अभ्रक उत्खनन के लिए विदेशों से नवीन प्रौद्योगिक के आयात पर कभी ध्यान नहीं दिया।

झारखण्ड के अभ्रक क्षेत्रों में अभ्रक हेतु अनुसंधान एवं अन्वेषण पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकार द्वारा अभ्रक के निर्माण या प्रोसेसिंग या अभ्रक खनन के क्षेत्र में खोज या शोध के लिए कोई शोध संगठन नहीं बनाया गया। झारखण्ड का अभ्रक उद्योग आश्रित था और खोज एवं गलत प्रयोगों पर विशेष तौर पर विकसित था। यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकिझारखण्ड से जो अभ्रक उत्पादित एवं निर्यात होता था उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व था। अभ्रक जाँच समिति की सिफारिश थी कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के डाइरेक्टर तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के डाईरेक्टर मिलकर एक अभ्रक विपणन नियंत्रक बोर्ड का निर्माण करें जो विविध शोधों को संपन्न करे। लेकिन अभ्रक जाँच समिति की महत्त्वपूर्ण सिफारिश अभी तक लागू नहीं हो सका। मिटको ने भी अभ्रक हेतु शोध और विकास केन्द्र का सुझाव दिया था। यह हर्ष की बात है कि मिटको द्वारा प्रस्तावित ‘रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर’ भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा मंजूर कर लिया गया है और इसके कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

झारखण्ड के अभ्रक उद्योग के संदर्भ में एक बड़ी समस्या अभ्रक भण्डार का व्यवस्थित सर्वेक्षण न होना है। आज तक न तो केन्द्र सरकार द्वारा और न ही राज्य की किसी एजेंसी ने अभ्रक भण्डार का सर्वेक्षण किया है। फलतः आज तक यह सुनिश्चित नहीं किया जा कसा है कि वास्तव में इस क्षेत्र में अभ्रका का कितना भण्डार है\अभ्रक के भण्डार का विस्तार कितने क्षेत्र में है

झारखण्ड के अभ्रक उद्योग की वर्तमान समस्या के लिए सरकार की नीतियाँ भी जिम्मेदार हैं। सरकारी नीति का प्रभाव उद्योगों के स्थानीयकरण पर बहुत गहरा पड़ता है। सरकार की नीतियाँ के कारण जहाँ कुछ उद्योग विशेष के विकास को बढ़ावा मिलात है, वहीं कुछ उद्योग-विशेष को हतोत्साहित किया जाता है।

वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन संचालित एकमात्र प्रतिष्ठान जे0एस0एम0डी0सी0 (माइका डिवीजन) के मृतप्राय होने के साथ ही कोडरमा क्षेत्र में माइका की चमक धूमिल हो गई है। करीब चार दशक से जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे माइका की सभी खदानें इन दिनों बंद हालत में है। कोडरमा में संचालित जेएसएमडीसी (झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम) के कार्यालय में कार्यरत करीब 55 कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं बचा है। इन्हें बैठे-बिठाये सरकार तनख्वाह दे रही है। वहीं निगम की अधिकतर खदानों पर जंगल एवं खनन माफियाओं का कब्जा है।

यह खेद का विषय है कि सरकार ने झारखण्ड के अभ्रक उद्योग के विकास हेकु कोई ठोस नीति नहीं बनाई न हीं केन्द्र सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने। इसके विपरीत, केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण अभ्रक निर्यातकों के बिल (रसीद) का काफी विलम्ब से भुगतान होता था। भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के डायरेक्टर द्वारा अभ्रक की खरीददारी से संबंधित बिल काफी विलम्ब से दिया जाता था। बिल के जमा होने और उसके भुगतान में विलम्ब होने के कारण निर्यातकों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता था।

नवम्बर, 2000 में झारखण्ड की स्थापना के साथ ही यहाँ के औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने 25 अगस्त, 2001 को औद्योगिक नीति घोषित की। इस नीति में तीव्र औद्योगिकरण हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम पूँजी निवेश हेतु आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास, बीमार अभवा रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के प्रयास इत्यादि पर बल दिया गया। यद्यपि औद्योगिक नीति में अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन बीमार उद्योगों तथा बंद उद्योगों को खोजने या पुनर्जीवित करने की कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई है।

झारखण्ड के अनेक क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है। किन्तु नक्सलवादी क्रियाकलापों से मुक्ति, विधि-व्यवस्था की उचित व्यवस्था एवं स्थापना, निवेशकों की सुरक्षा आदि के प्रावधानों का कोई उल्लेख औद्योगिक नीति में नहीं किया गया है।

शांति एवं सुरक्षा के वातावरण का उदयोगों की स्थापना पर गहरा असर पड़ता है। झारखण्ड के अधिकांश जिले खासकर कोडरमा अभ्रक क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है। नक्सलवादी क्रियाकलापों के कारण अनेक क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था चरमरा चुकी है। नक्सली संगठनों की समानांतर सत्ता और आए दिन अपहरण की घटनाओं से भी इस इलाके के व्यापारियों का मनोबल गिरा है। झारखण्ड के कुल 24 जिलों में से 20 जिले उग्रवाद के सीधे-सीधे प्रभाव में है। विगत 6 वर्षो में झारखण्ड में नक्सली हिंसा में लगभग 600 लोगों की जानें गई है, जिसमें 230 पुलिसकर्मी, 123 नक्सली तथा 280 आम नागरिक थे। नक्सली संगठनों द्वारा व्यापारियों से चंदा (लेवी) वसूल किया जाता है। इस कारण वे अभ्रक खनन में रूचि नहीं लेते है। सुरेश झांझरी कुछ समय पहले तक कोडरमा क्षेत्र के बड़े व्यापारी माने जाते थे। लेकिन आज वह करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए है।

अभ्रक की चोरी एवं लगातार अवैध उत्खनन एवं व्यापार ने भी झारखण्ड के अभ्रक उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभ्रक की चोरी एक पुरानी बीमारी थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता गया और इस खनिज की माँग में तेजी आई, वैसे हीं अभ्रक की चोरी भी लगातार बढ़ती गई। कहा जाता है कि अभ्रक चोरी का खान के मैनेजर एवं खनन करनेवालों के कम मजदूरी के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी इस चोरी को रोकने के लिए नियम बनाए गए, परंतु परिणाम केवल आंशिक ही रहा। अभ्रक जाँच समिति का अधिकांश समय अभ्रक की चोरी रोकने में व्यतीत होता था। हाल के वर्षो में सरकार ने अवैध खनन करनेवालों पर कार्रवाई हेतु कदम उठाया जिसका अभ्रक व्यावसायियों ने विरोध किया। अभ्रक व्यावयायियों का प्रशासन के साथ बैठक हुई जिसमें व्यवसायियों ने स्पष्ट किया था कि वे वैध तरीके से व्यवसाय करना चाहते हैं और सरकार को राजस्व भी देंगे। परंतु सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई। फलतः अभ्रक का अवैध उत्खनन एवं व्यापार अब भी जारी है। वन संरक्षण कानून तथा वन एवं खनन विभाग के बीच तालमेल के अभाव के कारण भी झारखण्ड के अभ्रक उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने खनन जारी रखने के लिए 11 अप्रैल, 1982 को एक आदेश जारी कर रास्ता निकाला कि पहले से पट्टे पर खनन का काम करनेवाली कंपनियों को कानून लागू होने के बाद भी पट्टा दिया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मार्च, 1997 के अपने फैसले में साफ कर दिया कि वन संरक्षण कानून के तहत केन्द्र सरकार से अनुमति हासिल किए बगैर खनन हेतु पट्टे पर वन क्षेत्र की जमीन नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर किसी पट्टाधारी को बिना संरक्षण कानून के तहत केन्द्र सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है तो तत्काल उसे अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे मामलों में पट्टाधारियों के आवेदन दो सप्ताह में केन्द्र सरकार को भेजने और केन्द्र सरकार को छः सप्ताह में इसका निपटारा करने का निर्देश दिया था। लेकिन 10 वर्षो में सिर्फ राजेन्द्र मोदी को

www.ignited.in

ही खनन के लिए पट्टा जारी हुआ। व्यापारियों का कहना है कि वे लोग वन कानूनों की जटिल शर्तों को पूरा करने को तैयार हैं, लेकिन केन्द्र व राज्य सरकार की लेटलतीफी तथा वन एवं खनन विभाग के बीच तालमेल के अभाव के कारण उन्हें पट्टा हासिल करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। रूग्न अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित करने का उपाय:

उपर्युक्त समस्याओं के आलोक में झारखण्ड के रूग्ण अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं-

1. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पद्र्धा का सामना करने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए। चीन की भाँति भारत में भी माइका पेपर प्लांट स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उचित दर पर अभ्रक के अंतर्राष्ट्रीय माँग की पूर्ति की जा सके। हाल ही में गिरिडीह में मुरारी बागड़िया ने माइका पेपर प्लांट लगाया जो फायदे में चल रहा है। सरकार को चाहिए कि इस इलाके में अभ्रक व्यापारी और भी माइका पेपर प्लांट स्थापित करे। इसके लिए विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है।

2. यद्यपि अमेरिका द्वारा अभ्रक के विकल्प को ढूँढ लिया गया है, तथापि झारखण्ड के अभ्रक की क्वालिटी आज भी सर्वोत्तम है। कृत्रिम अभ्रक कभी भी वास्तविक अभ्रका का स्थान नहीं ले सकता है। सरकार को चाहिए की बंद पड़े अभ्रक खानों को अपने हाथों में लेकर उन्हें फिर से शुरू करे। ऐसा प्रयास करे कि सस्ते दरों पर अभ्रक का उत्पादन किया जा सके। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में झारखण्ड के अभ्रक की साख फिर से कायम हो सकेगी और अंतर्राष्ट्रीय माँग में वृद्धि होगी।

उत्तम क्वालिटी तथा संयमित दाम होने से झारखण्ड अभ्रक का बाजार अवश्य बढ़ेगा।

3. एकरूप नीति के विकास को ध्यान में रखकर तथा अभ्रक उत्पादकों के लिए अनुकूल कीमत प्राप्त करने हेतु अन्य अभ्रक उत्पादक देशों के साथ वार्तालाप प्रारंभ करना चाहिए।

4. सरकार को चाहिए कि वह अभ्रक आधारित उत्पादों को निर्यात का गैर-परंपरागत वस्तु समझे और नकद सहायता, कर वापस आदि की सुविधा प्रदान करे।

5. विभिन्न देशों में अभ्रक की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी या निर्यात प्रोत्साहन केन्द्र खोला जाना चाहिए।

6. विस्तृत बाजार अध्ययन के द्वारा विदेशों में अभ्रक का बाजार विकसित करने के लिए एक बाजार विकास फंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मैगजीन एवं मीडिया के द्वारा प्रचार एवं विज्ञापन देना चाहिए कि भारत इस स्थिति में है कि वह अभ्रक के किसी भी रूप की माँग की पूर्ति कर सकता है।

अभ्रक के विविध उत्पादों के प्रति घरेलू एवं विदेशी बाजारों में आकर्षण पैदा करने की दृष्टि से अभ्रक के विभिन्न उत्पादों यथा- अभ्रक पेपर, अभ्रक पाउडर, शीशाबद्ध, सिल्वर्ड अभ्रक तथा अभ्रक से निर्यात अन्य उत्पादों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे अभ्रक उत्पादों की माँग में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी और अभ्रक उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

8. अभ्रक व्यापार के समुचित प्रबंधन एवं देख-रेख के लिए मिटको जैसी संस्था को फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। अपनी स्थापना के आरंभिक दौर में मिटको ने सराहनीय कार्य किया था, जिससे अभ्रक उद्योग को बढ़ावा मिला था। परंतु कालांतर में इसमें भ्रष्टाचार फैल गया। फलतः मिटको को बंद करना पड़ा। यद्यपि मिटको के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सरकार ने अपनी होल्डिंग कम्पनी मिनरल्स एण्ड मेटलस टेªनिंग कॉर्पोरेशन (एम0एम0टी0सी0) में विलय कर दिया। लेकिन यदि रूग्ण अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित करना है तो मिटको जैसी संस्था का स्वतंत्र अस्तित्व आवश्यक है। पुनर्गठन के बाद भ्रष्टाचार न फैले इसके लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।

9. चूँकि अभ्रक की बाजार-नीति माँग और आपूर्ति के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इसलिए सरकार द्वारा ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि अभ्रक की बाजार नीति माँग और आपूर्ति के अनुकूल हो। इससे अभ्रक के कारोबार में संतुलन आ सकेगा।

10. जाली डीलरों के उदय की जाँच हेतु स्थानीय अफसरों, डीलरों, व्यापारियों एवं अभ्रक व्यवसाय से संबंधित विभिन्न संद्यों को चाहिए कि वे सही एवं वास्तविक डीलरों की एक सूची तैयार करें और उसे

www.ignited.in

मिटको जैसी अधिकृत संस्था को भेज दें। सरकार उन डीलरों के साथ ही सौदा करे।

11. एक अभ्रक व्यापार समिति का गठन किया जाए जिसके प्रतिनिधि वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, संचार, परमाणु ऊर्जा, रक्षा विभाग और राज्य सरकार से हों। केन्द्र का यह उत्तरदायित्व हो कि वह अभ्रक आधारित उद्योगों की पहचान करे और उनके उत्पादन गतिविधियों को विकसित करे जिससे देशी माँग की पूर्ति संभव हो सके।

12. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से अभ्रक उद्योग की समस्याओं पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिए। अभ्रक व्यापार से संबंधित सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी इस सेमिनार में होना चाहिए।

13. अभ्रक झारखण्ड के आर्थिक संरचना के तीन स्तंभों (कोयला, लोहा और अभ्रक) में से एक है। अभ्रक के आर्थिक और सामरिक महत्त्व को समझने के लिए कोई भी, अन्य उद्योगों की तरह, इसके समान महत्त्व से इंकार नहीं कर सकता। अतः सरकार द्वारा तत्काल अभ्रक खनन को एक उद्योग धोषित करना चाहिए ताकि इस उद्योग को आगे बढ़ाने में वित्तीय संस्थाएँ सामने आ सकें।

14. अभ्रक खानों में बिजली की आपूर्ति काफी अनियमित है। कोई भी नया कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि बिजली बोर्ड के अफसरों एवं खदान मालिकों के बीच आपसी सामंजस्य न हों। कुछ बड़े खदान मालिक अपने खदान को चलाने हेतु जेनरेटर का प्रयोग करते है, जो काफी मंहगा होता है। छोटे खदान मालिक इसका खर्च वहन नही कर सकते। बिजली के निर्बाध आपूर्ति के बिना किसी भी उद्योग को लाभप्रद नहीं बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार को निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रति सचेष्ट रहने के रूग्ण अभ्रक उद्योग को अवश्य प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा।

15. सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे कि अभ्रक की बिक्री में व्याप्त खामियों को दूर किया जा सकें अभ्रक जाँच समिति द्वारा प्रस्तावित अभ्रक विपणन नियंत्रण बोर्ड की स्थापनाह की जाये जाकि अभ्रक के व्यापार को नियंत्रित किया जा सके।

16. अभ्रक उद्योग में कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों की सख्त आवश्यकता होती है। झारखण्ड में ऐसे प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थानों की कमी है। अतः सरकार को चाहिए कि वह झारखण्ड में ऐसे प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना पर बल दे। इससे झारखण्ड अभ्रक उद्योग को प्रशिक्षित श्रमिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ेगी।

17. अभ्रक खानों में खान मालिकों द्वारा श्रमिकों का प्रायः शोषण किया जाता रहा है। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए। श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए जो कानून है, उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। श्रमिको को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान किया जाना चाहिए। उनके रहन-सहन, पेयजल, चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को श्रम कल्याण पर अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए।

18. अभ्रक क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों की भाँति स्वस्थ 'ट्रेड यूनियन' का विकास होना चाहिए ताकि अभ्रक श्रमिकों की उचित माँगों को पूरा किया जा सके।

19. आज भी खानों से अभ्रक का खनन परंपरागत तरीके से ही होती है। सरकार को विदेशों से अभ्रक खनन हेतु नवीन प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहिए ताकि कम लागत पर अभ्रक का उत्पादन किया जा सके। नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अभ्रक की उत्पादकता कई गुणा बढ़ सकेगी एवं लागत भी कम हो जायेगा।

20. झारखण्ड के अधिकांश अभ्रकखाने सुदूर जंगलों में स्थित हैं जहाँ परिवहन एवं संचार व्यवस्था का अभाव है। अभ्रक क्षेत्रों में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को विकसित कर इस उद्योग को पुनर्जीवित करने पर बल मिलेगा।

21. झारखण्ड के अभ्रक उद्योग से जुड़ी एक प्रमुख समस्या विस्तृत सर्वेक्षण का अभाव रहा है। अतः सरकार को चाहिए कि वो अपने विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से विस्तृत सर्वेक्षण करवाए ताकि अभ्रक के भण्डार का पता लगाया जा सके। साथ ही यह भी पता चल सके कि अभ्रक का कितना भंडार मौजूद है।

www.ignited.in

22. झारखण्ड अभ्रक का प्रमुख उत्पादन राज्य है। इसके बावजूद अभ्रक के प्रोसेसिंग, अभ्रक खनन के क्षेत्र में खोज या शोध के लिए कोई संगठन नहीं बनाया गया है। साथ ही, धरेलू एवं विदेशी बाजार से इस उद्योग को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने हेतु बहुत ही कम शोध एवं विकास कार्यक्रम चलाया गया है। अनुसंधान एवं अन्वेषण की दिशा में पर्याप्त ध्यान देने की जिम्मेदारी सरकार की है। इससे इस उद्योग की स्थिति सुधरेगी। अभ्रक उद्योग के लिए यह हर्ष की बात है कि कुछ वर्षों पूर्व मिटको द्वारा प्रस्तावित 'रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर' की सिफारिश को भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने मंजूर कर लिया है और इसके कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

23. चूँकि अभ्रक की चोरी एवं लगातार अवैध व्यापार ने झारखण्ड के अभ्रक उद्योग को गहरे रूप से प्रभावित किया है। अतः अभ्रक के अवैध उत्खनन एवं व्यापार को रोकने हेतु सरकार को ठोस एवं सक्रिय कदम उठाना चाहिए। राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी अभ्रक के अवैध उत्खनन और व्यापार को रोकने हेतु कानून बनाया जाना चाहिए।

24. वन संरक्षण कानून तथा खनन एवं वन विभाग के बीच तालमेल का अभाव के कारण अभ्रक खनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके कारण खान मालिकों को अभ्रक खनन का पट्टा प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। अतः सरकार को चाहिए कि वह ऐसा नियम बनाए जिससे खान मालिकों को पट्टा प्रदान करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ें। खनन हेतु पट्टा प्रदान करने की व्यवस्था सरल होनी चाहिए और खान मालिकों को अपने पट्टे का नवीनीकरण करने में भी मुश्किल न हो।

वन विभाग एवं खनन विभाग के बीच भी तालमेल अच्छा होना चाहिए ताकि पट्टा हासिल करने में कठिनाई नहीं हो। इस संदर्भ में सरल नियम बनाया जाना चाहिए। साथ ही सुप्रील कोर्ट के 1997 के फैसले को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के पट्टाधारकों के आवेदन दो सप्ताह में केन्द्र सरकार को भेजने और केन्द्र सरकार को छह सप्ताह में इसका निपटारा करने का निर्देश दिया था। पंरतु इसका पालन नहीं किया जाता है।

25. झारखण्ड उग्रवाद-नक्सलवाद से प्रभावित राज्य है। इसके कुल 24 जिलों में से 14 जिले गंभीर रूप से नक्सलवाद से प्रभावित हैं। कोडरमा एवं गिरिडीह का अभ्रक क्षेत्र भी इस समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित है। नक्सली संगठनों द्वारा अपहरण, हत्या, लेवी की वसूली आदि के कारण अभ्रक व्यापारियों के मनोबल को गहरा आघात लगा है। अतः सरकार को चाहिए कि वह ऐसी धटनाओं से अभ्रक व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करे ताकि वे अधिक-से-अधिक अभ्रक उद्योग में अपनी पूँजी निवेश कर सकें।

निष्कर्ष:

यदि उपर्युक्त उपायों और सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल किया जाये तो रूग्ण अभ्रक उद्योग को पुनर्जीवित होने में देर नहीं लगेगी। इससे न केवल झारखण्ड का आर्थिक विकास होगा बल्कि अभ्रक क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक स्थिति एवं जीवन-स्तर में भी काफी सुधार हो सकेगा।

संदर्भ सूची:

1. डा0 सुशील कुमार सिंह, 'रीडर्स कॉर्नर', पटना, 2002, झारखण्ड, 2003, पृ0-131
2. राम कुमार तिवारी, 'झारखण्ड का भूगौल', राजेश पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2001, पृ0-81
3. एम0के0सिंह, 'झारखण्ड डेवलपमेंट एण्ड पॉलिटिक्स' पृ0-5
4. राम कुमार तिवारी, 'झारखण्ड का भूगौल', पृ0-83
5. श्याम कुमार, 'झारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन' सफल प्रकाशन, राँची, पृष्ठ-246
6. वही
7. राम कुमार तिवारी, 'झारखण्ड का भूगौल', पृ0-89
8. डॉ0बी0के0 महतो, 'झारखण्ड के भौगोलिक समीक्षा,' प्रतियोगिता सहित्य, पृष्ठ-68
9. वही
10. श्याम कुमार, 'झारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन' सफल प्रकाशन, राँची, पृष्ठ-247
11. www.afmasiapacific.org./download-Fire.php?uid=86
12. वही

13. श्याम कुमार, 'झारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन' सफल प्रकाशन, राँची, पृष्ठ-247

14. वही

15. संजय कुमार, 'प्रॉब्लम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ़ मिनरल इन्डस्ट्री इन इण्डिया,'मित्तल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1993, पृ0-108

16. www.afmasiapacific.org./download-file.php?uid=86

17. संजय कुमार, 'प्रॉब्लम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ़ मिनरल इन्डस्ट्री इन इण्डिया,' पृ0-103

18. www.afmasiapacific.org./download-file.php?uid=86

19. 'आउटलुक साप्ताहिक', जुलाई 2005, पृ0-20

20. सी0एम0 राजगढ़िया, 'माइनिंग प्रोसेसिंग एण्ड यूज़ ऑफ़ इण्डियन माइका', पृ0-50

21. वही

22. वही, पृष्ठ-146

23. http://www.123management.net/content/state-traing.organisation-India

24. दैनिक जागरण, समाचार पत्र, राँची, 5 अगस्त, 2010

25. एम0के0सिंह, 'झारखण्ड डेवलपमेंट एण्ड पॉलिटिक्स' पृ0-5

Corresponding Author

Dr. Ranjan Kumar*

ICHR, JRF, UGC Net, Patna University, Patna, Bihar

ranjan.kumar1201@gmail.com